काशी हिन्दू विश्वविद्यालय BANARAS HINDU UNIVERSITY

यूजीसी नॉन-नेट फेलोशिप के लिए दिशानिर्देश

शैक्षणिक परिषद के संकल्प (एसीआर) सं. 42 दिनांक 4.11.2020 और
कार्यकारिणी परिषद के संकल्प (ईसीआर) सं. 240 दिनांक 17.11.2020 द्वारा अनुमोदित

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रसार

i) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एतदद्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करता है, जिन्हें "यूजीसी नॉन-नेट फेलोशिप हेतु दिशा-निर्देश" कहा जाएगा। ये दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इनकी औपचारिक अधिसूचना के बाद तत्काल लागू होंगे। ये दिशानिर्देश विश्वविद्यालय द्वारा नॉन-नेट फेलोशिप योजना के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों के स्थान पर लागू होंगे।

ii) नॉन-नेट फेलोशिप की योजना एम.फिल और पीएच.डी. के ऐसे छात्रों के लिए लागू है, जो किसी भी स्रोत से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/स्कूल/केंद्रों में पंजीकृत हैं। फेलोशिप प्रदान करने का निर्णय और उसका विस्तार हमेशा यूजीसी और/या एमएचआरडी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वास्तविक निधि और निर्देशों के अधीन होगा।

iii) सभी विभाग/स्कूल/केंद्र पीएच.डी. में प्रवेश पूरा होने के बाद एक महीने के भीतर प्रत्येक सेमेस्टर में अपने छात्रों के लिए विशेष परामर्श सत्र आयोजित करेंगे और इन दिशा-निर्देशों में निहित विभिन्न प्रावधानों एवं नियमों तथा समय-समय पर इनमें हुए संशोधनों की व्याख्या करेंगे।

2. फेलोशिप प्राप्त करने की पात्रता और अवधि

i) विश्वविद्यालय के छात्रों को नॉन-नेट फेलोशिप देने का निर्णय यूजीसी विनियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों (एम.फिल./ पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानकों और प्रक्रिया) और समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार होगा।

ii) ऐसे सभी पीएच.डी. शोधार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय की शोध प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या आरईटी से छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश लिया गया है और कोई फेलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे इस फेलोशिप के लिए पात्र हैं।

iii) एम.फिल. के वे छात्र जो किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें रु. 5000/ - प्रति माह नॉन-नेट फेलोशिप प्रदान करने हेतु पात्र माना जाएगा,

इसके साथ ही विज्ञान विषयों के लिए प्रतिवर्ष रु. 10,000/- तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए प्रति वर्ष रु. 8000/- की आकस्मिक (कंटीजेन्सी) धनराशि भी प्रदान की जाएगी।

iv) पीएच.डी. के वे छात्र जो किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहें है उन्हें रु. 8000/- प्रति माह नॉन -नेट फेलोशिप प्रदान करने हेतु पात्र माना जाएगा, इसके साथ ही विज्ञान विषयों के लिए प्रतिवर्ष रु.10,000/- तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए प्रति वर्ष रु. 8000/- की आकस्मिक (कंटीजेन्सी) धनराशि भी प्रदान की जाएगी।

v) फेलोशिप प्रदान करने के लिए अधिकतम सीमा अवधि पी.एच.डी. के लिए 04 वर्ष और एम.फिल के लिए 18 महीने या शोध प्रबंध जमा करने तक, जो भी पहले हो, होगी ।

vi) विस्तारित अवधि और अंशकालिक शोधार्थियों के लिए कोई फेलोशिप नहीं प्रदान की जाएगी।

vii) विश्वविद्यालय के एकीकृत एम.फिल.-पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकित छात्रों के लिए एम.फिल फेलोशिप 18 महीने पूर्ण हो जाने के बाद बंद हो जाएगी और विश्वविद्यालय के प्रासंगिक अध्यादेशों के अनुसार पीएचडी में पंजीकरण के बाद पुनः शुरू होगी। ऐसे छात्रों को अंतरिम अवधि के लिए बकाया धनराशि मिलेगी जिसकी गणना नॉन-नेट फेलोशिप की कुल अवधि हेतु की जाएगी। किसी भी मामले में एम.फिल.+ पीएच.डी. की कुल अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

viii) ऐसे छात्र, जो एम.फिल./पीएच.डी./एकीकृत कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं और परियोजनाओं के तहत फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं और परियोजना समाप्त होने के बाद या मध्यावधि में छोड़ देने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फेलोशिप नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अधिकतम 2 साल की अवधि के नॉन-नेट फेलोशिप लिए प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, फेलोशिप की अधिकतम अवधि यूजीसी द्वारा निर्धारित अवधि (अर्थात् 4 वर्ष) से अधिक नहीं होगी और परियोजना की फेलोशिप अवधि को नॉन-नेट फेलोशिप की कुल अवधि हेतु शोध परियोजना के कार्यग्रहण की तिथि से गिना जाएगा।

इस तरह के आवेदन परियोजना की फेलोशिप की समाप्ति की तिथि से तीन (03) माह के भीतर विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेशों के अनुसार छात्र के लिए विशेष रूप से गठित विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा उचित सिफारिश के बाद विकास अनुभाग में प्राप्त हो जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ix) यदि विश्वविद्यालय से नॉन-नेट फेलोशिप प्राप्त करने वाला छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश को निरस्त करने के संबंध में निर्धारित उचित औपचारिकताओं को पूरा किए बिना अध्ययन को

बीच में ही छोड़ देता है, तो उस समय तक उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल फेलोशिप विश्वविद्यालय द्वारा वापस ली जाएगी।

3. चयन

i) फेलोशिप उन सभी छात्रों को प्रदान की जाएगी जो एम फिल /पीएचडी /एम फिल+ पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से चयनित हों अर्थात, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आरईटी या आरईटी से छूट प्राप्त (नेट-एलएस / स्लेट उम्मीदवारों) के माध्यम से।

ii) प्रत्येक सत्र में पीएच.डी. पंजीकरण को अंतिम रूप देने के बाद, विभागाध्यक्ष शोधार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा और इस तरह के सभी आवेदनों को फेलोशिप प्रदान करने के लिए स्वयं और शोध निर्देशक की विशेष सिफ़ारिश और विभागीय शोध समिति के कार्यवृत्त के साथ उप कुलसचिव (विकास) को अग्रेषित करेगा। सभी आवेदन पीएच.डी. में प्रवेश बंद हो जाने की तिथि से एक महीने के भीतर उप कुलसचिव (विकास) तक पहुंच जाने चाहिए।

iii) विकास अनुभाग आवेदनों की जांच करेगा और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, फेलोशिप की स्वीकृति की सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष/केंद्र/स्कूल के समन्वयक को प्रदान जाएगी।

4. फेलोशिप की अवधि

i) फेलोशिप अधिकतम 4 (3 + 1) वर्षों की अवधि के लिए मान्य है।

ii) फेलोशिप प्राप्तकर्ता फेलोशिप की अधिकतम अवधि तक अर्थात अपने मान्य पीएच.डी. नामांकन तक या शोध प्रबंध के जमा होने तक, जो भी पहले हो, फेलोशिप प्राप्त कर सकता है।

5. फेलोशिप का विस्तार

i) प्रत्येक वर्ष के पूरा होने के साथ, शोधार्थी अपने फेलोशिप के नवीकरण के लिए अपने शोध-निर्देशक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रगति रिपोर्ट विभागाध्यक्ष/केंद्र/स्कूल के समन्वयक को प्रस्तुत करेगा। तथापि, शोधार्थी को विधिवत भरा हुआ प्रारूप प्रत्येक वर्ष पूरा होने से कम से कम एक महीने पहले जमा करना होगा।

ii) विभागाध्यक्ष/केंद्र/स्कूल के समन्वयक उक्त प्रगति रिपोर्ट को डीआरसी में प्रस्तुत करेंगे और प्रगति रिपोर्ट के साथ समेकित सूची उप कुलसचिव (विकास) को भेज देंगे।

iii) तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद, पियर रिव्यूड जर्नल/यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में एक पेपर प्रकाशन सहित डीआरसी की सिफारिश पर ही फेलोशिप विस्तारित की जाएगी। इसके लिए, शोधार्थी को तीसरा वर्ष पूरा होने से कम से कम एक महीने पहले निर्धारित प्रारूप में विभागाध्यक्ष के यहां आवेदन करना होगा, और तत्पश्चात विभागाध्यक्ष बैठक आयोजित करेंगे तथा समेकित सूची उप कुलसचिव (विकास) को भेजेंगे।

iv) शोधार्थी को प्रकाशित लेख का प्रथम लेखक या तत्संबंधी लेखक होना चाहिए। तथापि, एक ही लेख के लिए दो शोधार्थियों के फेलोशिप के विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. छुट्टी और उपस्थिति

i) सभी शोधार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से विभाग में उपस्थित होंगे और विश्वविद्यालय के नियमानुसार उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

ii) विश्वविद्यालय के नियमानुसार सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त, शोधार्थी प्रति वर्ष अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी लेने के लिए पात्र हैं लेकिन, किसी भी अन्य अवकाशों जैसे, ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश और मध्य-सत्र अवकाश के पात्र नहीं होंगे।

iii) महिला फेलोशिप प्राप्तकर्ता पूर्ण फेलोशिप सहित भारत सरकार के नियमानुसार मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगी।

iv) विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्यादेशों के अनुसार विशेष मामले में, शोधार्थी को बगैर फेलोशिप के अस्थायी अनुपस्थिति (temporary withdrawal) की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, यह ध्यान रखा जाए कि बगैर फेलोशिप छुट्टी की अवधि को फेलोशिप की अवधि में गिना जाएगा।

v) शोधार्थी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपने शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष/संकाय प्रमुख, जो भी लागू हो, की स्पष्ट अनुमति के बाद ही छुट्टी पर जा सकेंगे। किसी भी अनधिकृत छुट्टी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आधार बनाया जा सकता है।

7. अन्य शर्तें

i) शोधार्थी फेलोशिप प्राप्त करने की अवधि के दौरान किसी भी अन्य स्रोत से किसी भी नियुक्ति, सवेतन या अन्यथा को स्वीकार नहीं करेगा, या किसी भी अन्य परिलब्धि, वेतन, वजीफा आदि प्राप्त नहीं करेगा।

ii) शोधार्थी को शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों यथा ट्यूटोरियल्स, परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, प्रयोगशाला, अनुदेशन कार्य, क्षेत्र कार्यों का पर्यवेक्षण, पुस्तकालय गतिविधियाँ जैसे कम्प्यूटरीकरण, संगोष्ठी, परिसंवाद आदि के आयोजन में सहायता करनी चाहिए बशर्ते, उसके द्वारा किए गए इस तरह के कार्यों से उसके अपने शोध कार्य में बाधा की संभावना न हो। प्रति सप्ताह व्यतीत की गई कुल समयावधि 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii) शोधार्थी इस विश्वविद्यालय में या कहीं और किसी भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकता है।

iv) शोधार्थी शोध निर्देशक के माध्यम से अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट विभागीय शोध समिति (डीआरसी) को प्रस्तुत करेगा।

v) यदि कोई शोधार्थी फेलोशिप-कार्यावधि के दौरान फेलोशिप छोड़ना चाहता है, तो छात्रवृत्ति का परित्याग करने के लिए उसका आवेदन शोध निर्देशक और डीआरसी द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और इसे कुलसचिव (विकास) कार्यालय को भेज दिया जाएगा।

8. फेलोशिप निरस्त किया जाना :

i) फेलोशिप निम्नलिखित मामलों में निरस्त की जा सकती है:-

क) दुर्व्यवहार।

ख) असंतोषजनक प्रगति रिपोर्ट और विभाग द्वारा निरस्त करने की सिफारिश।

ग) शोधार्थी द्वारा फेलोशिप के लिए पात्रता का दावा करने हेतु भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करना या किसी जानकारी को छिपाना और बाद में अयोग्य पाया जाना।

घ) स्वीकृत छुट्टियों के अलावा शोधार्थी द्वारा अन्य अनधिकृत छुट्टी लेने पर।

ii) ऐसे मामलों में निर्णय लेने से पहले, डीआरसी संबंधित छात्र को उसकी स्थिति स्पष्ट करने और तथ्यों को संज्ञान में लाने का अवसर प्रदान करेगी।

9. फेलोशिप/कंटींजेन्सी का दावा करने की प्रक्रिया

i) उप कुलसचिव (विकास) से स्वीकृति मिलने के बाद, विशेष निधि (छात्रवृत्ति) अनुभाग में पहला फेलोशिप बिल जमा करते समय छात्र को फेलोशिप बिल के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करना चाहिए :

क) पीएफ़एमएस पंजीकरण फॉर्म

ख) बैंक पास बुक की छाया प्रति (खाता केवल शोधार्थी के नाम पर होना चाहिए)

ग) स्वीकृति पत्र की छाया प्रति

घ) पहचान प्रमाण की छाया प्रति (आधार)

ii) पीएफ़एमएस पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद, विशेष निधि (छात्रवृत्ति) अनुभाग द्वारा संबंधित विभाग के प्रमुख को पीएफ़एमएस आईडी की सूची प्रदान की जानी चाहिए। शोधार्थी को चाहिए कि वह इस पीएफ़एमएस आईडी का फेलोशिप/ कंटीजेन्सी बिल पर उल्लेख करे।

iii) फेलोशिप बिल आगामी माह की 7 तारीख तक विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। तत्पश्चात, विभागाध्यक्ष द्वारा सभी फेलोशिप बिल, उचित सत्यापन और हस्ताक्षर के बाद, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक विशेष निधि (छात्रवृत्ति) अनुभाग में भेज दिए जाने चाहिए।

iv) हालांकि, मार्च माह हेतु बिल 15 मार्च तक विशेष निधि अनुभाग में पहुंच जाना चाहिए।

v) खंड अवधि के लिए आकस्मिक धनराशि (कंटींजेंसी) का भुगतान यथानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

vi) शोधार्थियों को वित्तीय वर्ष के भीतर ही आकस्मिक धनराशि (कंटींजेंसी) का दावा करना चाहिए। कंटींजेन्सी बिल 28 फरवरी तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

vii) कोई फेलोशिप/ कंटींजेन्सी बिल अगले वित्तीय वर्ष में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि निधि 31 मार्च को व्यपगत हो जाती है।

viii) यदि लगातार 3 माह तक कोई बिल प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि शोधार्थी ने फेलोशिप छोड़ दी है।

***